

20/10/16

प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील अनुपस्थित। वकील उपस्थित। प्रार्थी पत्र
को आवेदन लगाया गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं आया। उपस्थित
प्रार्थी वकील ने इस पर आपत्ति जताते हुए निवेदन किया कि
दिनांक 11/3/15 को तलवाना नोटिस अदायगी के आदेश प्रार्थी को दिये
गये लेकिन आदिनांक तलवाना नोटिस आद नहीं किया गया है।
अतः प्रार्थी अदम अदायगी तलवाना नोटिस एवं न्यायालय आदेश
की पालना न करने से खारिज किया जावे। जैसे पत्रावली का
अवलोकन किया। प्रार्थी वकील का एतराज स्वीकार योग्य है
अतः प्रार्थी अदम अदायगी से खारिज किया जाय है मिलावट केवल
सुमार होकर गवर् से कम हों वह दफ्तर दायिल है।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

